152

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुनरीक्षण क्र. /2005

R 747-I/2005

श्री आर डी शर्मा एडवोकेट द्वारा आज दि० 26/5/05 को प्रस्तुत।

अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

26 MAY 2005

शेर सिंह पुत्र महाराज सिंह निवासी ग्राम मनियर तहसील व जिला शिवपुरी (म.प्र.)

... आवेदक

विरुद्ध

(1) रोहित कुमार पुत्र जीतमल जैन निवासी छत्री रोड शिवपुरी (म.प्र.)

(2) श्रीमति मंजू जैन पत्नी दीपक कुमार जैन निवासी सदर बाजार शिवपुरी तह. व जिला शिवपुरी - अनावेदकगण

माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक ... के अनुसार आदेशानुसार संशोधन किया

26-5-05

न्यायालय अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा अपील क्रमांक 135/95-96 अपील में पारित आदेश दिनांक 30.4.05 के विरुद्ध म.प्र.भू. राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण आवेदन।

माननीय महोदय,

आवेदक का निम्नानुसार निवेदन है :-

1. यह कि, अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों के आदेश अवैध, अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से अपास्त किए जाने योग्य है।

2. यह कि, विवादित भूमि आवेदक की पैत्रिक सम्पत्ती है। इसमें 1/4 हिस्सा रामजीलाल पचौरी का था जिसे आपसी अदला बदली में आवेदक ने प्राप्त की थी। कब्जा निरन्तर आवेदक के पूर्वजों तथा उनके पश्चात आवेदक का निरंतर चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय के विधिवत आदेश को अपास्त करने में अपीलीय न्यायालयों द्वारा वैधानिक त्रुटि की गई है।

क्र....2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 747–एक / 2005

जिला–शिवपुरी

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा आदि के हस्ताक्षर
26–9–16	आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री आर0डी0 शर्मा उपस्थित। अनावेदक क्र0 1 की ओर से अभिभाषक श्री प्रदीप श्रीवास्तव उपस्थित । 2/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा वही तर्क दोहराये गये है जो निगरानी मेमों में है । अतः उसे दुबारा दोहराने की आवश्यकता नहीं है । 3/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण क्र0 135/1995–96/अपील में पारित आदेश दिनांक 30.04.52005 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (आगे जिसे सक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 4/ मेरे द्वारा उभयपक्ष अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया । इस प्रकरण में दो महत्वपूर्ण विधिक प्रश्न यह है कि– 1. क्या म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 115–116 के अन्तर्गत कब्जा अंकित किया जा सकता है? 2. क्या संहिता की धारा 115–116 के अन्तर्गत नवीन प्रविष्टि की जा सकती है?	